GRPI-211-6L-11-94	V-190/CR.J.(e)
SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIP in the court of Case No257/2017 Complaint or r	RIMINAL PROCEDURE CODE, 1898 Classeport made on
Name and address of the Complainantशा0पु0गोहद चौराह	ा बनाम मानसिंह
Name, parentage, caste and addres	ss of accused
1. मानसिंह पुत्र शिवनारायणसंह तौमर उम्र 25 वर्ष निवासी र गोहद चौराहा भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जिला भिण्ड म.प्र.	्र रजौदा थाना नगरा मुरैना हाल वार्ड नं0 18
TO BUTTON	
The offence complaint of its alleged commission.	
आपने दिनांक 15 / 10 / 17 के 18:20 बजे से 18:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जिला भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञ अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 न्यायालय के संज्ञान में हैं।	ा पत्र के 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को
The plea of the accused and his examiination (if any)	
अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।	5

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 06.11.2017 को घोषित)

- 1. आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अपराध के आरोप हैं।
- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- 3. आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं आरोपी / आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 / रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जब्तशुदा 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 06.11.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

AN SUNTAIN TO